जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-12.06.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा में मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.06.2025 को श्रीमती सोना पत्नी मोहर सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली व उसके पुत्र राजवीर के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादिया की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा में मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जनेश्वर पुत्र जुल्फी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.पप्पूराम पुत्र अतरसिंह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 12.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अजय पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2020 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत सुनील पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा निवासी म0नं0 594 डब्बा कालोनी गाजीपुर रोड़ उत्तम नगर थाना डबुआ जनपद फरीदाबाद मूल निवासी ग्राम व थाना मूनक जनपद करनाल हरियाणा द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366,376 भादवि व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 10-10 वर्ष का कारावास व 15,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 343,506 भादवि में 02-02 वर्ष का कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सुनील पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा निवासी म0नं0 594 डब्बा कालोनी गाजीपुर रोड़ उत्तम नगर थाना डबुआ जनपद फरीदाबाद मूल निवासी ग्राम व थाना मूनक जनपद करनाल हरियाणा।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2010 में अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र वेदू निवासी ग्राम एलम थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 275/2010 धारा 430 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI